

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर जिला ग्वालियर म.प्र.

निगरानी क्रमांक:- /2018

निगरानी- 5808/2018/टीकमगढ़/अ.प्र.

(90)

खड़िया तनय कल्पी अहिरवार आयु- 55 वर्ष,
निवासी ग्राम भैतवारी तहसील व जिला-
टीकमगढ़ म.प्र. ---निगराकार

बनाम

1. किशोरी तनय खुल्ला चढ़ार आयु- 40 साल,
2. सूरज सिंह तनय भरत सिंह आयु- 65 साल,
दोनों निवासी ग्राम भैतवारी तहसील व जिला
टीकमगढ़ म.प्र.

---प्रतिनिगराकारगण

निगरानी प्रतिकूल निर्णय एवं आदेश राजस्व निरीक्षक मण्डल बड़ागांव धसान

के प्रकरण क्रमांक-167/अ-12/2017-18 में पारित आदेश दिनांक 18.07.18

के विरुद्ध जिसके तहत निगराकार की भूमि में से 0.920 हेक्टेयर की भूमि
प्रतिनिगराकार किशोरी के हक में नाप दी गई है।

महोदय,

निगरानी के प्रमुख आधार तादर निम्न प्रकार है:-

§1§ यह कि अधीनस्थ राजस्व निरीक्षक मंडल बड़ागांव का आदेश विधि, विधान एवं मूल पत्रावली के तर्कधा प्रतिकूल है।

§2§ यह कि प्रकरण का संक्षिप्त तार यह रहा है कि प्रतिनिगराकार किशोरी तनय खुल्ला चढ़ार निवासी भैतवारी ने अपनी भूमि अंतरा नम्बर 765/2/1 के सीमांकन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया होगा उपरोक्त आवेदन पत्र पर राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रतिनिगराकार किशोरी की भूमि का सीमांकन किया गया होगा किंतु इस संबंध में राजस्व निरीक्षक द्वारा न तो सरहदी कृषकों सूचना दी गई और न ही उक्त सीमांकन उनके समक्ष किया गया तथ्यता यह है कि राजस्व निरीक्षक द्वारा दस्तावेजों में ही सीमांकन किया गया है मौके पर कोई सीमांकन नहीं हुआ है न ही

राजस्व निरीक्षक सीमांकन हेतु मौके पर गए यदि वह सीमांकन हेतु मौके पर गए होते

90

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-5808/2018/टीकमगढ़/भूरा.

खडिया विरूद्ध किशोरी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
04-01-2019	<p>1. प्रकरण प्रस्तुत ।</p> <p>2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं ।</p> <p>3. प्रस्तुत निगरानी राजस्व निरीक्षक मंडल बडागांव धसान के प्रकरण क्रमांक 167/अ-12/2017-18 में पारित आदेश दिनांक 18-07-2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी ।</p> <p>4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधनवर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है ।</p> <p>5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 22-02-2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये ।</p>	<p>(आर.के. जैन) 4.1.19 सदस्य</p>